जीत सिंह आदि **बनाम** ग्राम पंचायत मलकाना खूर्द आदि
अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट नम्बर 04 सन् 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024 / 172

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट अधिवक्ता के द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि सरपंच ग्राम पंचायत मलकाना खूर्द द्वारा आदेश दिनांक 05.03.2024 को निरस्त किया जाकर इन्तकाल संख्या 827 को स्वीकृत किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एस की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 105 / 99 के मुरब्बा नम्बर 3, 6 की कुल 7.992 हैक्टेयर भूमि का विरास्तन इन्तकाल अपीलान्टगण के नाम दर्ज किए जाने बाबत निवदेन किया गया है। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में अर्ज किया कि वनजारा सिंह के द्वारा दिनांक 16.10.1978 को बलवीर सिंह पुत्र वीर सिंह जाति रायसिख निवासी 13 एच के पक्ष में रूबरू गवाहन वसीयत निष्पादित की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा विचार विमर्श करते हुए उक्त नामान्तरण संख्या 827 दिनांक 05.03.2024 को इस टिप्पणी के साथ खारिज किया कि भूमि विवादित है। प्रकरण में वादगत भूमि के सम्बन्ध में रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर अनुसार रकबे के संबध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का स्थगन आदेश है। लिहाजा राजस्व ग्राम 1 एस की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 105 / 99 के मुरब्बा नम्बर 3, 6 की कुल 7.992 हैक्टेयर भूमि के संबध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना हम विधिसंगत समझते है। अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपील अपीलान्ट अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट भली–भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार / खारिज की जाती हैं। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
सत्यमेव जयते